व्यवसायगत परिस्थितियाँ एवं शिक्षिकाओं पर उनका प्रभाव

(अल्मोड़ा नगर के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षिकाओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

श्रीमती राखी किशोर*, डा0 रेनू प्रकाश**

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र शिक्षण व्यवसाय में कार्यरत् शिक्षिकाओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन है। अतः अध्ययन में उत्तरदाताओं की व्यवसायगत् परिस्थितियों का मूल्यांकन किया गया है, जिससे शिक्षण कार्य एवं उससे सम्बन्धित कार्यगत् परिस्थितियों या व्यवसायगत् परिस्थितियों से होने वाले प्रभावों को स्पष्ट करके शोध में यथार्थ निष्कर्ष निकाला जा सके। शिक्षण व्यवसाय में कार्यरत् शिक्षिकाओं की कार्यगत् या व्यवसायगत् परिस्थितियाँ उनके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, जिससे उनकी समस्त भूमिकाओं में कई परिवर्तन भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जहाँ एक ओर व्यवसायगत् या कार्यगत् परिस्थितियाँ अनुकूल होने पर एक महिला की योग्यता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि होती है तथा पूर्ण मनोयोग से अपने समस्त कार्यों का निर्वहन कुशलता पूर्वक करती हैं, वहीं दूसरी ओर प्रतिकूल परिस्थितियाँ उसकी कार्य क्षमता को घटाने का काम भी करती हैं, जिससे उसकी कार्य क्षमता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप अत्यधिक मानसिक तनाव का सामना उसे करना पड़ता है। अतः प्रस्तुत शोधपत्र में उत्तरदाताओं की व्यवसायगत परिस्थितियाँ एवं शिक्षिकाओं पर उनके प्रभाव को स्पष्ट किया गया है।

मुख्य शब्द : शिक्षिकाएँ, व्यवसायगत् परिस्थितियाँ, शिक्षण व्यवसाय।

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का योगदान विशेष महत्व का होता है। इसी श्रृंखला में आर्थिक प्रगति और विकास की बात की जाये तो आधी आबादी के रूप में महिलाओं की भूमिका का विशेष महत्व होता है। आर्थिक जगत के विकास से तात्पर्य उन सम्बन्धों तथा ढ़ाँचे से है, जो किसी भी समाज को इस योग्य बनाता है कि उसके सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। आर्थिक विकास के कारण ही सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थाएँ परिवर्तित होती हैं और इस प्रकार वे सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। परम्परागत दृष्टि से महिलाओं की भूमिका गृहिणी की मानी जाती रही है कार्यरत् महिला के रूप में नहीं। जबकि पुरूष के विषय में यह धारणा है कि वह अजीविका अर्जक के रूप में कार्य करे। लेकिन वैश्वीकरण के इस युग में महिलाओं की भागीदारी धनोपार्जक के रूप दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है। महिलाओं की आर्थिक सशक्तता जहाँ परिवार से लेकर राष्ट्र की उन्नति को आधार देती है, वहीं उसे इस राह पर चलने पर कई समस्याओं एवं कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ता है। हमारा संविधान बिना किसी भेदभाव के स्त्री तथा पुरूषों को कार्य या व्यवसाय करने का समान अधिकार प्रदान करता है। यह एक उत्साह जनक संकेत है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक बाधाओं के रहते हुए भी महिलाएँ कामकाज के क्षेत्र में भागीदार बनी हुई हैं तथा एक सशक्त उपस्थिति भी दर्ज करवा रही हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही महिलाओं की जीवन शैली में अनेकों परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। शिक्षा के बढ़ते सुअवसर, वैचारिक स्वतन्त्रता, अच्छे रहन–सहन तथा आर्थिक स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के उद्देश्य से महिलाएं विभिन्न कार्यक्षेत्रों में आयीं, जहां पर उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से न जुड़ी हों। अतः एक कार्यरत् महिला जहां एक ओर जीवन की कई नई ऊँचाईयों को छू रही है वहीं दूसरी ओर कार्यस्थल पर अवांछनीय एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार, कम वेतन देना व यौन उत्पीड़न का खतरा होना प्रमुख समस्याओं का दर्शाता है।

प्रस्तुत अध्ययन अल्मोड़ा नगर के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षिकाओं पर आधारित है। अतः इन शिक्षिकाओं की व्यवसायगत परिस्थितियों एवं उन पर पड़ने वाले प्रभाव को शोधबिन्दु के रूप में रेखांकित किया गया है।

साहित्य सर्वेक्षण

पद्मनी सेन गुप्ता ने अपने अध्ययन में पाया है कि विभिन्न आधुनिक मान्यताओं की वजह से नवयुवतियों को परम्परागत स्त्री क्षेत्र में बंधे रहना अब ठीक नहीं लगता है, वे अपने वैयक्तिक विकास तथा संतुष्टि के लिये घर से बाहर निकलकर काम करना चाहती हैं।[1]

* शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोड़ा

** एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोड़ा

सिंह मन्जू (1981) ने महिलाओं के रोजगार में प्रवेश के विषय में लिखा है कि,''वर्तमान में परिस्थितियों के परिवर्तन स्वरूप महिलायें आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। आर्थिक दबावों के कारण परिवार का सफल संचालन मात्र पुरूष की आय से सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में मध्यम वर्ग की महिला रोजगार के क्षेत्र में सक्रिय हो रही है। महिला शिक्षिकाओं की स्थिति को स्पष्ट करते हुए डॉ0 मन्जू सिंह लिखती हैं कि आज की महिला शिक्षिका पति एवं परिवार के सहयोग से घर एवं कार्यस्थल के दायित्वों में सामंजस्य स्थापित कर सफलता पूर्वक दोनों कार्य कर रही है। यद्यपि अनेक अवसरों पर महिला को समझौता करना पड़ता है किन्तु फिर भी पुरूष प्रधान समाज में महिला निरंतर अधिकारों की प्राप्ति हेतु संघर्षशील है।''[2]

पुद्याल लक्ष्मी (2012) ने नेपाल में एक विषय ''महिला शिक्षक होने पर सामाजिक समावेश और बहिष्कार का अनुभव'' पर अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि शिक्षिका बनने पर महिलायें किस प्रकार सामाजिक और पारिवारिक बहिष्कार और समावेश का सामना करती हैं तथा महिला शिक्षिकायें अन्य व्यवसायों की अपेक्षा शिक्षण व्यवसाय को अधिक पसंद करती हैं एवं शिक्षण व्यवसाय से समाज में अधिक सम्मान प्राप्त करती हैं एवं गृहिणी व शिक्षक की दोहरी भूमिकायें निभाते हुए पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखती हैं।''[3]

वर्षा कुमारी द्वारा ओडिशा राज्य के राउरकेला शहर के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बैंक, स्कूल व कॉलेजों में कार्यरत् महिलाओं, अस्पतालों एवं वाणिज्यक संगठनों जैसे विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में कार्यरत् महिलाओं की समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि अलग–अलग आयु वर्ग व विशेष वर्ग तथा विभिन्न श्रेणियों की कार्यरत्, तलाकशुदा व परित्यक्ता महिलाओं की समस्याओं व चुनौतियों में विभिन्नता पाई जाती है। किन्तु इसके साथ ही निश्चित रूप से कुछ सामान्य तरह की समस्याओं जैसे मानसिक व शारीरिक तनाव, परिवार व नौकरी दोनों के बीच उचित सन्तुलन की समस्या, परिवार की देखभाल, कार्यस्थल में भेदभाव व तनावपूर्ण जीवन इत्यादि का सामना करना पड़ता है। [4]

देसाई नीरा (1957) ने अपने अध्ययन में स्त्रियों के अधिकार के विषय में लिखा है कि काम करने का अधिकार तो मूल अधिकार है जो स्त्रियों को भी होना चाहिए। समाज की आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधियों में योगदान देने का अधिकार स्त्रियों को भी है। स्त्रियां भी पुरूषों की भांति ही अपने तथा अपने आश्रितों के भरण–पोषण की व्यवस्था करने के लिए कमाने जाती हैं।''[5]

रजनीकान्त दास का कहना है कि महिलाओं का नौकरी धन्धे में प्रवेश, समाज और व्यक्तित्व दृष्टि से ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी परिस्थिति में सैद्धान्तिक विरोध तथा बाधाएं खड़ी करने के बजाय श्रेयस्कर तो यह है कि धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाने वाली महिलाओं की जो कठिनाइयां या अड़चनें हों उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जाये ताकि वे समाज का उत्पादन कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न कर सकें। [6]

वर्मा मल्लिका (1960) ने मुम्बई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस तथा दिल्ली के स्कूल ऑफ सोशल वर्क में ''मध्यमवर्गीय कामकाजी महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति'' पर अध्ययन किया तथा महिलाओं की कई समस्याओं पर उनकी मनोवृत्ति ज्ञात की।''[7]

कपूर प्रमिला (1968) ने अपना ध्यान शिक्षित विवाहित महिलाओं पर केन्द्रित कर शिक्षाकर्मी महिलाओं के वैवाहिक सामंजस्य की स्थिति का अध्ययन किया। यह अध्ययन दिल्ली की शिक्षित महिलाओं पर था। उन्होंने अध्ययन में बताया कि शहर की शिक्षित विवाहित महिलाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करने वाले कारक आर्थिक संतोष के साथ–साथ सामाजिक व मनोवैज्ञानिक प्रेरणाएं भी देते हैं। जहाँ तक वैवाहिक सामंजस्य का प्रश्न है पति–पत्नी को निजी अन्तः क्रियाओं का सामना करना पड़ता है। पत्नी के कार्यकारी होने के कारण उसे पारिवारिक व कार्यकारी दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, जिस कारण उसके परिस्थितिवश बदले हुए व्यवहार के कारण पति में मानसिक विसंगति उत्पन्न होती है।[8]

अग्रवाल एम0पी0 (2001) ने अपनी पुस्तक 'वूमेन्स एजुकेशन इन इंडिया' में भारत में स्त्री शिक्षा की व्याख्या की। सन् 2001 में प्रकाशित इस पुस्तक में प्रत्येक विभाग में कार्यरत् महिलाओं पर शोध प्रस्तुत किया और कार्यकारी महिलाओं के साथ आने वाली समस्याओं के 1987 तक के सभी तथ्यों को प्रस्तुत किया है।''[9]

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षिकाओं की व्यवसायगत् परिस्थितियाँ एवं इससे उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट करना है।

शोध अभिकल्प एवं पद्धति शास्त्र

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अन्वेशणात्मक है, अतः शोध हेतु इस अध्ययन में अन्वेशणात्मक एवं विवेचानात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राष्ट्र एवं समाज के विकास में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। वास्तव में शिक्षा राष्ट्र एवं समाज के निर्माण की आधारशिला है। महिलाएं समाज का

अभिन्न अंग मानी जाती हैं, सरल स्वभाव होने के कारण एक शिक्षिका के रूप में महिलाओं को सदैव प्राथमिकता दी जाती है। चूँकि प्रस्तुत शोध कार्य में अन्वेशणात्मक शोध अभिकल्प को लिया गया है, अतः इसके द्वारा अध्ययन व्यवसाय में माध्यमिक शिक्षिकाओं की स्थिति, उनकी कार्यगत् परिस्थितियाँ एवं उनकी प्रमुख समस्याओं एवं अध्यापन व्यवसाय का शिक्षिकाओं के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को देखने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन समग्र पर आधारित है। प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में सरकारी व गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या 17 है तथा इनमें कार्यरत् महिला शिक्षिकाओं की कुल संख्या 227 है। संख्या कम होने के कारण अध्ययन हेतु इन्हें समग्र रूप में सम्मिलित किया गया है। अतः प्रस्तुत अध्ययन संगणना पद्धति पर आधारित होगा। इस प्रकार अध्ययन कुल 227 अध्ययन इकाईयों पर आधारित होगा। तथ्य संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसची के माध्यम से प्राथमिक स्त्रोतों को एकत्रित किया गया है तथा द्वितीयक स्त्रोत के रूप में विभिन्न विद्वानों की संबंधित अध्ययन सामग्री, शोध पत्रिकाओं व शोध ग्रन्थों का प्रयोग किया गया है।

उपलब्धियाँ

प्रस्तुत शोधपत्र के माध्यम से अल्मोड़ा नगर के सरकारी तथा गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षिकाओं की व्यवसायगत् परिस्थितियां एवं उनसे पड़ने वाले प्रभावों को विभिन्न सारणीयों द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो निम्नवत् है।

सारणी संख्या 01

गुणवत्ता युक्त स्कूली शिक्षा लुप्त होने के कगार के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के मत

प्रत्युत्तर का स्वरूप	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
हाँ	107	47.13%
नहीं	61	26.88%
कह नहीं सकते	59	25.99%
योग	**227**	**100%**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 47.13 प्रतिशत उत्तरदाता यह स्वीकार करते हैं कि गुणवत्ता युक्त स्कूली शिक्षा लुप्त होने के कगार पर पहुँच गयी है। जबकि 26.88 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात को अस्वीकार करते हैं कि वर्तमान समय में गुणवत्ता युक्त स्कूली शिक्षा लुप्त हो रही है। साथ ही 25.99 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मध्य इस मत पर असामंजस्य की स्थिति बनी हुई है। अतः स्पष्ट होता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्कूली शिक्षा व्यवसायगत हो गयी है जिससे उसकी गुणवत्ता में धीरे–धीरे कमी आने लगी है।

सारणी संख्या 02

विद्यालय से सम्बन्धित सुख सुविधाओं की प्राप्ति के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत

प्रत्युत्तर का स्वरूप	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
सभी	12	43.20%
थोड़ा बहुत	111	48.90%
बहुत अधिक	08	3.52%
नहीं	10	4.40%
योग	**227**	**100%**

उपरोक्त सारणी के अनुसार 43.20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें विद्यालय से सम्बन्धित सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हैं। जबकि 48.90 प्रतिशत उत्तरदाताओं को थोड़ी बहुत सुख सुविधा प्राप्त है। इसके

विपरीत 3.52 प्रतिशत उत्तरदाताओं को बहुत अधिक तथा 4.40 प्रतिशत उत्तरदाताओं को बिल्कुल भी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं को विद्यालय में थोड़ी बहुत सुविधाओं के साधन उपलब्ध होते हैं। उन उत्तरदाताओं का प्रतिशत भी अच्छा खासा है, जिन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं। अनौपचारिक वार्तालाप में उत्तरदाताओं से बात करने के बाद ज्ञात हुआ कि प्राईवेट स्कूलों के उत्तरदाताओं को सुख–सुविधाओं के साधन ज्यादा प्राप्त होते हैं। सरकारी उत्तरदाताओं के विद्यालय में सुख–सुविधाओं के साधन प्रायः सीमित होते हैं।

सारणी संख्या 03

विद्यालय में आपके प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या व अन्य सह कर्मियों का व्यवहार

प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
अच्छा	137	60.35%
ईर्ष्यापूर्ण	04	1.77%
प्रतियोगितापूर्ण	04	1.77%
सहानुभूतिपूर्ण	11	4.84%
सामान्य	71	31.27%
योग	**227**	**100%**

उपरोक्त सारणी के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि 60.35 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है प्रधानाचार्य व अन्य कर्मियों का व्यवहार उनके प्रति अच्छा है। जबकि 1.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं का व्यवहार ईर्ष्यापूर्ण, 1.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं का व्यवहार प्रतियोगिता पूर्ण है। साथ ही 4.48 प्रतिशत उत्तरदाता सहानुभूति पूर्ण व्यवहार का सामना करती हैं। जबकि 31.27 प्रतिशत उत्तरदाताओं को सामान्य व्यवहार का सामना करना पड़ता है। सार रूप में कहा जा सकता है कि व्यवहार के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं को किसी प्रकार के अवांछनीय या प्रतिकूल व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ता है। सामान्यतः विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं सहकर्मियों का व्यवहार प्रायः अच्छा रहता है।

सारणी संख्या 04

अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों के शिक्षण कार्य करने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत

प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	87	38.32%
नहीं	34	14.98%
कभी–कभी	106	46.70%
योग	**227**	**100%**

सारणी के अनुसार 38.32 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों का भी शिक्षण कार्य करना पड़ता है। साथ ही 46.70 प्रतिशत उत्तरदाताओं को कभी–कभी विशेष परिस्थितियों में इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत 14.98 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें इस तरह के अतिरिक्त शिक्षण कार्य नहीं करने पड़ते। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं के समक्ष ऐसी परिस्थिति कभी–कभी आती है जब उन्हें किसी अन्य विषयों का शिक्षण कार्य करना पड़ता है। अनौपचारिक वार्तालाप में स्पष्ट हुआ कि ऐसी स्थिति तब आती है जब उस विषय से सम्बन्धित शिक्षक अवकाश पर हो अथवा सम्बन्धित विषय का शिक्षक ना हो। साथ ही उत्तरदाताओं के एक बड़े प्रतिशत ने यह स्वीकार किया है कि इस तरह की परिस्थितियों का वह

सदैव सामना करती हैं। उसे अपने विषय के साथ अन्य विषयों का भी शिक्षण कार्य करना होता है, जो कि उसके अतिरिक्त कार्य भार को बढ़ाता है।

सारणी संख्या 05
कार्यस्थल में विभिन्न कठिनाईयों के कारणों के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

प्रत्युत्तर का स्वरूप	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
कक्षा का आकार	13	5.72%
अनुशासन हीनता	23	10.13%
विद्यार्थियों की अनुपस्थिति	82	36.12%
शिक्षण सुविधाओं का अभाव	33	14.54%
उपरोक्त सभी	76	33.49%
योग	**227**	**100%**

सारणी के अनुसार सर्वाधिक उत्तरदाताओं (36.12 प्रतिशत) का मानना है कि उनकी कक्षाओं में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, उनकी समस्याओं एवं कठिनाईयों को जन्म देती हैं, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति उस बच्चे की शिक्षा को भी प्रभावित करती है जिससे परीक्षा परिणाम अपेक्षित नहीं आ पाते। साथ ही 33.49 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कई कारणों को व्यक्त किया है जैसे किसी कक्षा का बड़ा आकार होना, अनुशासनहीनता, अनुपस्थित विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या तथा शिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव। इसके विपरीत 10.13 प्रतिशत उत्तरदाता अनुशासनहीनता, 14.54 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव को उनकी कठिनाईयों एवं समस्याओं का प्रमुख कारण मानते हैं। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि जहाँ एक ओर सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने छात्र–छात्राओं की अनुपस्थिति को कठिनाईयों का कारण माना है वहीं दूसरी ओर अधिकांश उत्तरदाताओं ने कक्षा का बड़ा आकार, कक्षा में अनुशासनहीनता एवं शिक्षण सुविधाओं के अभाव को उत्तरदायी माना है।

सारणी संख्या 06
कार्यस्थलों में अवांछनीय व्यवहार का सामना करने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत

प्रत्युत्तर का स्वरूप	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
हाँ	36	15.86%
नहीं	138	60.80%
कभी–कभी	53	23.34%
योग	**227**	**100%**

सारणी के अनुसार 15.86 प्रतिशत उत्तरदाता कार्यस्थल में अवांछनीय व्यवहार का सामना करते हैं जबकि 60.80 प्रतिशत उत्तरदाता किसी प्रकार के भी अवांछनीय व्यवहार का सामना नहीं करते हैं। 23.34 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो कभी–कभी कार्यस्थल में अवांछनीय व्यवहार का सामना करते हैं। सार रूप में कहा जा सकता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं को कार्यस्थल में किसी भी प्रकार के अवांछनीय व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ता है।

सारणी संख्या 07
समय पर वेतन न मिलने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत

प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
हमेशा	113	49.78%
कभी–कभी	106	46.70%
कभी नहीं	08	3.52%
योग	**227**	**100%**

सारणी के अनुसार 49.78 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें उनका वेतन समय से प्राप्त होता है, जबकि 46.70 प्रतिशत उत्तरदाताओं को कभी–कभी ही समय पर वेतन मिलता है। इसके विपरीत 3.52 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अपना वेतन कभी भी समय पर प्राप्त नहीं होता। उपरोक्त सारणी में जहाँ एक ओर उत्तरदाताओं का एक वर्ग समय पर अपना वेतन प्राप्त करता है, वहीं पर एक दूसरा वर्ग जिसका प्रतिशत भी अच्छा खासा है वह कभी–कभी ही समय पर वेतन प्राप्त करता है। अतः इस बात से भी स्पष्ट होता है कि वेतन मिलने के सम्बन्ध में अधिकांश उत्तरदाता प्रायः परेशान रहते हैं।

सारणी संख्या 08
आवश्यकता के अनुसार अवकाश मिलने के सन्दर्भ में उत्तरदाता के मत

प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
हमेशा	101	44.50%
कभी–कभी	113	49.78%
कभी नहीं	13	5.72%
योग	**227**	**100%**

उपरोक्त सारणी के अनुसार सर्वाधिक उत्तरदाताओं (49.78 प्रतिशत) ने स्वीकार किया है कि उन्हें कभी–कभी आवश्यकता के अनुसार अवकाश प्राप्त होता है, जबकि 44.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार हमेशा अवकाश प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि अवकाश के सन्दर्भ में अधिकांश उत्तरदाताओं को आवश्यकतानुसार आसानी से अवकाश कभी–कभी ही प्राप्त हो पाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यालय की परिस्थितियों के अनुरूप ही उत्तरदाताओं को अवकाश प्रदान किये जाते हैं, क्योंकि उन उत्तरदाताओं का प्रतिशत भी अच्छा खासा है जो यह मानते हैं कि उन्हें हमेशा अपनी आवश्यकतानुसार आसानी से अवकाश प्राप्त हो जाते हैं।

सारणी संख्या 09
बढ़ती ट्यूशन प्रवृत्ति शिक्षकों की नकारात्मक भूमिका का कारण

प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	93	40.96%
नहीं	39	17.19%
कह नहीं सकते	95	41.85%
योग	**227**	**100%**

उपरोक्त सारणी के आधार पर कहा जा सकता है कि 40.96 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि आधुनिक समय में बढ़ती ट्यूशन की प्रवृत्ति शिक्षकों की नकारात्मक भूमिका को स्पष्ट करते हैं, जबकि 17.19 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस

बात को नकार दिया है, साथ ही 41.85 प्रतिशत उत्तरदाता अपने मत को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर पाये। प्राप्त आँकड़ों के अनुसार कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने बढ़ती ट्यूशन प्रवृत्ति में शिक्षकों की नकारात्मक भूमिका के बारे में अपना कोई भी मत प्रकट नहीं किया है। किन्तु उत्तरदाताओं का अधिकांश प्रतिशत इस बात को की पूर्णरूप से स्वीकार करता है कि आधुनिक समय में बढ़ती ट्यूशन की प्रवृत्ति समाज में शिक्षकों की एक नकारात्मक भूमिका को प्रदर्शित करती है।

सारणी संख्या 10

शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे आधुनिक परिवर्तनों का ज्ञान प्राप्त करने के साधन के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत

प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
इन्टरनेट	62	27.31%
शिक्षण प्रशिक्षण	13	5.72%
नयी किताबों द्वारा	07	3.09%
कार्यशालाओं में प्रतिभाग	04	1.77%
उपरोक्त सभी	141	62.11%
योग	**227**	**100%**

प्राप्त सारणी के आँकड़ों के आधार पर ज्ञात होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे आधुनिक परिवर्तनों का ज्ञान 27.31 प्रतिशत उत्तरदाता इन्टरनेट के माध्यम से, 5.72 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षण–प्रशिक्षण के माध्यम से, 3.09 प्रतिशत उत्तरदाता नयी–नयी किताबों से, 1.77 प्रतिशत उत्तरदाता कार्यशालों के प्रतिभागों से तथा 62.11 प्रतिशत उत्तरदाता उपरोक्त सभी साधनों से आधुनिक परिवर्तनों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। सारणी से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे आधुनिक परिवर्तन को आत्मसात कर रहे हैं। जिसमें मुख्य रूप से इन्टरनेट, शिक्षण, प्रशिक्षण, नयी किताबों द्वारा विभिन्न कार्यशालाओं में प्रतिभाग आदि सभी साधन सम्मिलित हैं।

सारणी संख्या 11

विद्यार्थियों के प्रतिकूल प्रदर्शन का जिम्मेदार शिक्षकों को ठहराया जाता है के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के मत

प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
हमेशा	37	16.30%
कभी–कभी	151	66.51%
कभी नहीं	39	17.19%
योग	**227**	**100%**

विद्यालय में यदि विद्यार्थियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो उसके लिए शिक्षक को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस सम्बन्ध में 16.30 प्रतिशत उत्तरदाताओं को हमेशा ही जिम्मेदार ठहराया गया है तथा 66.51 प्रतिशत उत्तरदाताओं को कभी–कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। जबकि 17.19 प्रतिशत उत्तरदाताओं को कभी भी ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विद्यालय में यदि विद्यार्थियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो उसके लिए शिक्षकों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने इस बात की पुष्टि भी की है।

सारणी संख्या 12
आपके द्वारा दिये गये सुझावों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के मत

प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
हमेशा	30	13.21%
कभी–कभी	184	81.06%
कभी नहीं	13	5.73%
योग	**227**	**100%**

उपरोक्त सारणी के आधार पर कहा जा सकता है कि 13.21 प्रतिशत उत्तरदाताओं के सुझावों का क्रियान्वयन विद्यालय में हमेशा ही किया जाता है। 81.06 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके द्वारा दिये गये सुझावों का क्रियान्वयन विद्यालय में कभी–कभी किया जाता है। जबकि ऐसे उत्तरदाताओं का प्रतिशत 5.73 प्रतिशत है जिनके सुझावों का क्रियान्वयन विद्यालय में कभी नहीं किया जाता। अतः प्राप्त आकड़ों के अनुसार स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं का मानना है कि उनके द्वारा दिये गये सुझावों का उपयोग आवश्यकतानुसार कभी कभी तथा सदैव विद्यालय के विकास कार्यों में किया जाता है।

सारणी संख्या 13
विद्यालय में प्रतिकूल गतिविधियों के विरोध के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के मत

प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
हमेशा	50	22.02%
कभी–कभी	140	61.68%
कभी नहीं	37	16.30%
योग	**227**	**100%**

सारणी से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर ज्ञात होता है कि 22.02 प्रतिशत उत्तरदाता हमेशा ही विद्यालय में प्रतिकूल गतिविधियों का विरोध कर पाती हैं। साथ ही साथ सर्वाधिक 61.68 प्रतिशत उत्तरदाता कभी–कभी ही विरोध कर पाती हैं तथा 16.30 प्रतिशत उत्तरदाता कभी भी प्रतिकूल गतिविधियों का विरोध नहीं कर पातीं। अतः अधिकांश उत्तरदाता कभी–कभी विशेष परिस्थितियों में ही विद्यालय में प्रतिकूल गतिविधियों का विरोध कर पाती हैं। अनौपचारिक वार्तालाप से ज्ञात हुआ कि अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना था कि जब कोई भी बात उनसे सम्बन्धित होती है, तभी वह उन प्रतिकूल गतिविधियों का विरोध करती हैं अन्यथा विद्यालय के मामलों में प्रायः मूक या तटस्थ रहना ज्यादा अच्छा समझती हैं।

सारांश व निष्कर्ष

सार रूप में कह सकते हैं कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि शिक्षण कार्य के अतिरिक्त कार्यभार का प्रभाव उनके शिक्षण कार्य पर पड़ता है। बदलते समय के साथ शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आयी है। विद्यालय से सम्बधित सभी सुख–सुविधाओं के सम्बन्ध में उत्तरदाता यह कहते हैं कि उन्हें थोड़ी बहुत सुख–सुविधाएँ ही प्राप्त हैं, साथ ही उनका प्रतिशत भी अच्छा खासा है जिन्हें विद्यालय संबंधी सुख–सुविधाएँ प्राप्त हैं। व्यवहार के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं को किसी प्रकार का अवांछनीय या प्रतिकूल व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ता है। अध्ययन में पाया गया है कि कक्षा का आकार, विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता, विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा शिक्षण सम्बन्धी सुख–सुविधाओं का अभाव आदि समस्याओं का सामना शिक्षिकाओं को करना पड़ता है। समय पर वेतन व विभागीय सुख–सुविधाओं व अवकाश के सम्बन्ध में प्रायः

उत्तरदाताओं को थोड़ी बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। आज का विद्यार्थी ट्यूशन पर पूर्णतः निर्भर है, जो कहीं ना कहीं विद्यालयी शिक्षा को प्रभावित करता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे आधुनिक परिवर्तनों का ज्ञान उत्तरदाताओं द्वारा इन्टरनेट, शिक्षण–प्रशिक्षण, नयी किताबों के माध्यम से, कार्यशालाओं में प्रतिभाग से प्राप्त किया जा रहा है। सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि विद्यालय में प्रधानाचार्य व अन्य सहयोगियों का व्यवहार उनके प्रति अच्छा है। शिक्षिकाओं का यह भी कहना है कि उनके द्वारा दिये गये सुझावों का क्रियान्वयन कभी–कभी ही किया जाता है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अल्मोड़ा नगर क्षेत्र के माध्यमिक सरकारी तथा गैर–सरकारी विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षिकाओं की स्थिति प्राप्त आँकड़ों के अनुसार संतोषजनक है। कार्यस्थल में उत्पन्न समस्याओं को आपसी सहयोग व समझ द्वारा दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उनके समाधान खोजने के लिए स्वयं शिक्षिका वर्ग प्रत्यनशील है।

सन्दर्भ

1. Sen Gupta P., “Woman Workers in India” Asia Publication House Bombay 1960, p 243.
2. सिंह डा0 मन्जू, “शिक्षित महिलाएँ एवं सामाजिक परिवर्तन” प्रिन्टेवल, जयपुर 1981 पृ0 69।
3. पुद्‌याल लक्ष्मी, ‘‘नेपाल में महिला शिक्षिका बनना–सामाजिक समावेश और बहिष्कार का अनुभव’’ पी0एच0डी0 थीसिस, काठमाण्डू विश्वविद्यालय, 2012, पृ0 25।
4. Kumari Varsha. “Problems and Challenges Faced by urban working women in India” Arailobleathttp ii etheris. Nitrkl.ac.in/6094/1/E-208 Pdf)
5. देसाई, नीरा, ‘‘ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया’’ वीरा एण्ड कम्पनी, बम्बई, 1957 पृ0 29।
6. (Das Rajni Kant, 'Hindu woman and Her future, Sociology of Indian women,” Research publication Jaipur P-69
7. वर्मा, मल्लिका, ‘‘द स्टडी ऑफ द मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन इन कानपुर’’, द इण्डिया जनरल ऑफ सोशल वर्क, 21 दिसम्बर 1960 पृ0 286।
8. कपूर प्रमिला, ‘‘द स्टडी ऑफ मेरिटल एडजस्टमेंट ऑफ एज्यूकेशन वर्किंग वूमेन इन इंडिया’’, समाज विज्ञान में डी0लिट, थीसिस, आगरा विश्वविद्यालय, 1968, पृ0 23।
9. अग्रवाल एम0पी0, ‘‘वुमेन्स एज्यूकेशन इन इंडिया कन्सेप्ट’’ पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2001, पृ0 68